Attachment 1 – Eligibility for translation

पात्रता

ऑस्ट्रेलियाई श्रवण सेवाओं के लिए कौन पात्र है ?

बच्चे और नवयुवा व्यक्ति

21 वर्ष तक की आयु के बच्चे जो ऑस्ट्रेलियाई नागरिक या स्थाई निवासी हैं, ऑस्ट्रेलियन हियरिंग द्वारा दी जाने वाली सरकारी-निधिवद्ध श्रवण सेवाओं के पात्र हैं। उन्हें आवेदन-पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है।

ऑस्ट्रेलियन हियरिंग स्थाई या दीर्घकालीन श्रवण-ह्रास से ग्रस्त बच्चों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। जहाँ बच्चे में स्थाई श्रवण-ह्रास या श्रवण-यंत्रों का उपयोग करने का संकेत न हो, वहाँ हम सामान्यतः परिवार को परीक्षण व प्रवंधन के लिए किसी अन्य संस्था से संपर्क करने की सिफ़ारिश देंगे।

वयस्क

ऑस्ट्रेलियन हियरिंग सेवाओं का पात्र होने के लिए वयस्क **21** वर्ष या इससे अधिक आयु के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक या स्थाई निवासी होने चाहिए, और निम्नलिखित में से किसी एक श्रेणी में गिने जाने चाहिए ः

- सेवा-निवृत्ति छूट कार्डधारक (Pensioner Concession Card holders)
- सेना-निवृत्त व्यक्तियों के विभाग (Department of Veterans' Affairs) द्वारा जारी किए गए गोल्ड रिपैट्रिएशन स्वास्थ्य कार्डधारक
- सेना-निवृत्त व्यक्तियों के विभाग (Department of Veterans' Affairs) द्वारा जारी किए गए व्हाइट रिपैट्रिएशन स्वास्थ्य कार्डधारक, जिसमें श्रवण-ह्रास इंगित हो
- सेंटरलिंक द्वारा प्रदत्त अस्वस्थता-भत्ता ग्रहण करने वाले व्यक्ति

निम्नलिखित व्यक्ति भी पात्र हैं ः

- उपर्युक्त में से किसी श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के आश्रित व्यक्ति
- ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा बल के सदस्य
- सी आर एस ऑस्ट्रेलिया (जिसे पहले राष्ट्रमण्डल पुनर्सुधार सेवाओं के नाम से जाना जाता था) के आश्रित व्यक्ति जिन्हें केस-प्रबन्धक या सेवा प्रदान करने वाले चिकित्सक ने अपनी सम्मति दी हो।

उपर्युक्त श्रेणियों में आने वाले पात्र वयस्कों को एक वाउचर के लिए आवेदन करना होगा।

ऑस्ट्रेलियन हियरिंग निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को भी सेवा प्रदान कर सकती हैः

- **50** या इससे अधिक आयु के आदिवासी और टॉरेस जलडमरूमध्य द्वीपवासी
- सामुदायिक विकास रोजगार परियोजना (सी डी ई पी) में भाग लेने वाले आदिवासी और टॉरेस जलडमरूम्ध्य द्वीपवासी ।
- **1** दिसम्बर **2005** से **30** जून **2008** के बीच पहले कभी किसी सामुदायिक विकास रोजगार परियोजना कार्यक्रम में भाग लेने वाले आदिवासी और टॉरेस जलडमरूम्ध्य द्वीपवासी ।

उपर्युक्त तीन श्रेणियों के लिए वाउचर की आवश्यकता नहीं है। सेवा प्राप्त करने के बारे में जानकारी या और अधिक सूचना हेतु **131 797** पर फ़ोन करें। अन्यथा आपकी स्थानीय स्वास्थ्य सेवा भी समय-नियुक्ति करने में सहायता कर सकती है।